न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 23/2018 (2018/00135)

तारीख दायरा—08.10.2018

तारीख निर्णय—18.01.2021

उनवान

1. श्री कन सिंह पिता हेमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी रावलिया कलां तहसील गोगुन्दा।

........प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

...........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड़ रेवन्यू एक्ट

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से— श्री चेतन वैष्णव

अप्रार्थी की ओर से— पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के आधिपत्य एवं मिलकियत की कृषि भूमि मौजा रावलिया कलां चक द्वितीय तहसील गोगुन्दा में स्थित है। मौजा रावलिया कलां चक द्वितीय पटवार हल्का रावलिया कलां तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2069 से 72 के खाता संख्या 169 एवं 170 एवं मौजा छीपाला पटवार हल्का मोडी की जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 के खाता संख्या 178 में वर्णित आराजियात में प्रार्थी का नाम किशनसिंह दर्ज कर दिया गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम कन सिंह पिता हेमसिंह राजपूत है। लिपिकिय गलती से उक्त जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम किशनसिंह अंकित कर दिया है, जिसे राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम किशनसिंह के बजाय कन सिंह पिता हेमसिंह राजपूत अंकित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 169 एंव 170 में किशनसिंह के बजाय कन सिंह पिता हेमसिंह राजपूत दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। पटवारी हल्का रावलिया कलां द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि खातेदार किशनसिह का वास्तविक नाम कन सिंह पिता हेमसिंह राजपूत है तथा वर्तमान जमाबन्दी के खाता नम्बर 169 एंव 170 में प्रार्थी का नाम किशनसिंह दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम किशनसिह के बजाय कन सिंह पि[illegible] राजपूत दर्ज करना उचित है। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता [illegible] सुने गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 15:52:53 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने [illegible] प्रार्थना पत्र में वर्णित [illegible] को दोहराते हुए तर्क किया कि मौजा रावलिया कलां चक [illegible]ीय में प्रार्थी के नाम प[illegible] दर्ज है। मौजा रावलिया कलां चक द्वितीय पटवार हल्का रावलिया कलां तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2069 से 72 के खाता संख्या 169 एवं 170 एवं मौजा छीपाला पटवार हल्का मोडी की जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 के खाता संख्या 178 में वर्णित आराजियात में प्रार्थी का नाम किशनसिंह दर्ज कर दिया गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम कन सिंह

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला-उदयपुर (राज.)

पिता हेमसिंह राजपूत है। अतः अपनी बहस के अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 169 एवं 170 एवं 178 में किशनसिंह के बजाय कन सिंह पिता हेम सिंह दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। खाता संख्या 169 एवं 170 में प्रार्थी का नाम किशनसिंह पिता हेमसिंह दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सावित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा रावलिया कलां चक द्वितीय पटवार हल्का रावलिया कलां तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2069 से 72 के खाता संख्या 169 एवं 170 एवं मौजा छीपाला पटवार हल्का मोडी की जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 के खाता संख्या 178 में प्रार्थी का नाम किशनसिह पिता हेमसिंह के बजाय कन सिंह पिता हेम सिह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। एतदनुसार पालना हेतु तहसीलदार गोगुन्दा निर्णय की प्रति भेजी जाकर लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Neelam

(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा (उदयपुर राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 15:52:53 IST
Reason: SelfAttested